राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री संजय शर्मा । अपीलार्थी / आरोपीगण सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

आहतगण हरीसिंह, हेतराम, रामपाल सहित श्री पी.एन. भटेले अधिवक्ता उपस्थित ।

प्रकरण में आज आरोपीगण व आहतगण ने समझौता आवेदनपत्र आहतगण की ओर से समझौता की अनुमति बाबत धारा—320 (2) द.प्र.सं. के तहत आवेदनपत्र पेश किया, श्री पी.एन. भटेले अधिवक्ता ने आहतगण की ओर से वकालतनामा पेश किया । अनुमति आवेदनपत्र पर सुना गया । अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी घनश्याम को धारा—325, 323 (तीन बार) भा0दं०ंसं० में तथा अन्य अपीलार्थी सीताराम व परमाल को धारा-323 / 34 एवं 323 (तीन बार) भा0दं0ंसं0 में दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया है । मूल अभिलेख के अवलोकन से हरीबाथम, हेतराम और रामपाल ाटना के आहत हैं,जो कि व्यस्क होकर समझौता करने में समक्षम हैं । दोषसिद्धी अपराध धारा–323 भा0दं०ंसं० में न्यायालय की अनुमति के वगैर एवं धारा—325 भा0दं०ंसं० में न्यायालय की अनुमति से समझौता किया जा सकता है । अत : अनमति आवेदनपत्र वादविचार स्वीकार किया जाकर आहतगण का अपीलार्थीगण से प्रकरण में समझौता करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

आरोपीगण / अपीलार्थीगण एवं आहतगण की ओर से पेश किए गये समझौता आवेदनपत्र के संबंध में आहतगण के समझौते कथन लिये गये, मौखिक पूछताछ की गयी । उन्होंने आपस में रिश्तेदार होने एवं रिश्तेदारों व मोहल्लवालों के द्वारा आपस में समझौता कराना बताते हुए स्वेच्छापूर्वक राजीनामा करना प्रकट किया है । उभयपक्ष एक ही स्थान के निवास हैं, उनके मध्य मूल विवाद समाप्त हो चुका है और उनके आपस में मध्र संबंध स्थापित हो गये हैं तथा भविष्य में बने रहने की प्रत्याषा है,जिसे देखते हुए समझौता स्वीकार किये जाने योग्य है । आरोपीगण को श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता और आहतगण को श्री पी.एन. भटेले अधिवक्ता ने पहचाना है, जिससे न्यायालय संतुष्ठ है, समझौता स्वेच्छापूर्वक विधि संवत पाया अपीलार्थी घनश्याम को धारा—325, 323 (तीन बार) भा0दं०ंसं० अपीलार्थी सीताराम व परमाल तथा अन्य धारा—323 / 34 एवं 323 (तीन बार) भा0दं०ंसं० में दोषमुक्त किया जाता है ।

आरोपीगण / अपीलार्थीगण के प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं । प्रकरण में जप्तश्दा संपत्ति नहीं है । अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान निम्न न्यायालय में जमा किया गया अर्थदण्ड विधिवत वापिस किया जावे ।

उक्त आदेश की प्रति के साथ संलग्न मूल रिकॉर्ड विद्वान निम्न न्यायालय की वापिस किया जावे ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड